संख्या-70/2016- 2164/चौदह-4-2016-22/2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 18 अक्टूबर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद इटावा में अन्य वन्य जीवों हेतु सफारी पार्क की स्थापना योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 3600.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 2710.44 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक / प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-315/36-टी-77, दिनांक 16.09.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016,दिनांक 22-03-2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा इसके प्रस्तर-2(13)(च) में दी गयी व्यवस्था को शिथिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या- 60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत जनपद इटावा में अन्य वन्य जीवों हेतु सफारी पार्क की स्थापना योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 360000000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 271044000/- (रू0सत्ताइस करोड दस लाख चौवालिस हजार मात्र) की, निम्नलिखित लेखाशीर्षकों में व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान संख्या-60-	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव-	
11- जनपद इटावा में अन्य वन्य जीवों हेतु सफारी पार्क की स्थापना	
24-वृहत निर्माण कार्य	261044000
42-अन्य व्यय	10000000
योग-	271044000

(रू0 सत्ताइस करोड दस लाख चौवालिस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1. उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अंतर्गत नियमावलियों में अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। योजनान्तर्गतवाहनों के क्रय के पूव्र शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानिक अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विसतृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर खाता/डिपाजिट खाता आदि में जमा नहीं किया जायेगा।
5. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दिवरावृत्ति न हो।
6. व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित कर दी जाये तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाये।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहें है तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।
8. उपर्युक्त धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र संख्या-पी-315/36-टी-77 दिनांक 16-09-2016 के साथ संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव के पत्र संख्या- 674/7-4(अ0स0पा0) दिनांक 16-9-2016 में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जाय।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 903/ई-7/दस-2016 दिनांक 18 अक्टूबर 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2164(1)/ चौदह-4-2016-22/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार द्वितीय उत्तर प्रदेश केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8. निदेशक, इटावा लायन सफारी पार्क, इटावा।
9. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 2165/चौदह-4-2016-526/2013

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 18 अक्टूबर, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 9211.42 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रू0 4992.47 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-314/36-टी-77, दिनांक 16.09.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा इसके प्रस्तर-2(13)(च) में दी गयी व्यवस्था को शिथिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60- के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास योजना हेतु आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 921142000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 501759000/- में से रू0 499247000/- (उन्चास करोड बानब्बे लाख सैतालिस हजार मात्र) की, निम्नलिखित लेखाशीर्षकों में व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान संख्या-60-	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	
12-जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	
01-वेतन	1600000
03-महगाई भत्ता	2438000
योग:-राजस्व लेखा	4038000
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव-	
06-जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	
24-वृहत निर्माण कार्य	495209000
योग-पूंजी लेखा	495209000
कुल योग	499247000

(रू0 उन्चास करोड बानब्बे लाख सैतालिस हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1. उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अंतर्गत नियमावलियों में अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। योजनान्तर्गतवाहनों के क्रय के पूव्र शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानितक अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विसतृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।
5. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दिवरावृत्ति न हो।
6. व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित कर दी जाये तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाये।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहें है तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।
8. उपर्युक्त धनराशि का व्ययअपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र संख्या-पी-314/36-टी-77 दिनांक 16-09-2016 के साथ संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव के पत्र संख्या- 675/7-4(लायन सफारी, फेज-।।) दिनांक 16-9-2016 में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जाय।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 902/ई-7/दस-2016 दिनांक 18 अक्टूबर 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 2165(1)/ चौदह-4-2016-526/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार द्वितीय उत्तर प्रदेश केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- निदेशक, इटावा लायन सफारी पार्क, इटावा।
8- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- /चौदह-4-2016-526/2013

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक:सितम्बर ,2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास योजनान्तर्गत धनराशि रू0 499247000/-की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-314/36-टी-77, दिनांक 16.09.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन इसके प्रस्तर-2(13)(च) में दी गयी व्यवस्था को सिथिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60- के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास योजना हेतु आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 921142000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 501759000/- में से रू0 499247000/- (उन्चास करोड बानब्बे लाख सैतालिस हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित लेखाशीर्षकों में व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान संख्या-60-	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	
12-जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	
01-वेतन	1600000

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
03-महगाई भत्ता	2438000
योग:-राजस्व लेखा	4038000
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव-	
06-जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास	
24-वृहत निर्माण कार्य	495209000
योग-पूंजी लेखा	495209000
कुल योग	499247000

(उन्चास करोड बानब्बे लाख सैतालिस हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अंतर्गत नियमावलियों में अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। योजनान्तर्गतवाहनों के क्रय के पूव्र शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानितक अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विसतृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना

http://shasanadesh.up.nic.in

अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4- केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

5. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दिवरावृत्ति न हो।

6. व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित कर दी जाये तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाये।

7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहें है तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

8. उपर्युक्त धनराशि का व्ययअपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र संख्या-पी-314/36-टी-77 दिनांक 16-09-2016 के साथ संलग्नक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव के पत्र संख्या- 675/7-4(लायन सफारी, फेज-।।) दिनांक 16-9-2016 में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जाय।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथिमिकता के आधार पर की जायेगी।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0- /ई-7/दस-2016 दिनांक सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव,

संख्या- / चौदह-4-2016-526/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार द्वितीय उत्तर प्रदेश केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- निदेशक, इटावा लायन सफारी पार्क, इटावा।
8- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in